आदेश		कार्यवाही विवरण	अनु क्रमांक
15.3.22		पत्रावली पेश हुई। वकलाप उपस्थित। वादी व प्रतिवादीगण वकील ने एवं वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 ने स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 23-2-2022 को राजीनामा पेश किया। वादीगण की पहचान श्री जुगल किशोर जैन एडवोकेट ने तथा प्रतिवादी नं.1 की पहचान श्री हरलाल जैन एडवोकेट ने की। वादी व प्रतिवादी वकील ने निवेदन किया कि राजीनामा दिनांक 23.2.22 के अनुसार वाद-पत्र डिक्री फरमाया जावे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद-पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। sd 15/3/22	वादी पहचान (जुगल sd

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:28:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 2 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः– 208 / 2013 दर्ज दिनांकः– 21.06.2013

जी.सी.एम.एस.नं.– 2013 / 00132 निर्णय दिनांकः– 15.03.2022

मालीराम वगै0 **बनाम** **हनुतरामदास आदि**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..... ..... मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वादीगण का वाद पत्र राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1873 रकबा 3.34 है0 में से 0.18 है0 का प्रतिवादी नं0 1 को तथा वादीगण को खसरा नम्बर 1873 रकबा 3.34 है0 में से 3.16 है0, खसरा नं0 1872 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1873 / 3225 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.22 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। वादीगण की भूमि पर बैंक रहन यथावत रहेगा।

निज..–.....–..... मुबलिक –.....–..... दाबन.–.....–.... .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –.....–..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.03.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:28:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:– 208/2013

दर्ज दिनांक:– 21.06.2013

जी.सी.एम.एस.नं.– 2013/00132

निर्णय दिनांक:– 15.03.2022

1– मालीराम पुत्र तिलोकाराम जाति माली निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2– रामेश्वर पुत्र तिलोकाराम जाति माली निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

वादीगण

बनाम

1–हनुतरामदास चेला नानूदास जाति स्वामी निवासी घनावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
2–शाखा प्रबन्धक जरिये राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा उदयपुरवाटी।
3–राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी झुन्झुनूं।

प्रतिवादीगण

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक:– 15.03.2022

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कस्बा उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी के भूमि खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.01 है0, ख0न0 1873 रकबा 3.34 है0, ख0न0 1873/3225 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.40 है0 भूमि अवस्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर पुराना बन्दोबस्त द्वितीय से पूर्व क्रमशः 809 मी, 809मी, 809 मी है। जिसको आगे वाद–पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वाद–पत्र की धारा –1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि दिनांक 08.03.1978 को जरिये विक्रय–पत्र तत्कालीक खातेदार प्रतिवादी नं01 हनुतरामदास चेला स्व0 नानूदास से क्रय की थी। विक्रय–पत्र के अनुसार कस्बा उदयपुवाटी के पुराना ख0न0 809 तादादी 13 बीधा 9 विश्वा भूमि सम्पूर्ण का बेचान किया गया था। जिसका विक्रय–पत्र उप पंजीयक उदयपुरवाटी के यहां तस्दीक करा दिया था तथा ख0न0 809 तादादी 13 बीघा 9 विश्वा पुख्ता भूमि पर वादीगण को विक्रय के रोज से कब्जा करवा दिया गया था। तब से उक्त भूमि खसरा नम्बर निर्विवाद रूप से वादीगण का निरन्तर जारी है। मौके पर भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है। वादीगणने उक्त भूमि का विक्रय–पत्र के अनुसार नामान्तरकरण के लिए पटवारी हल्का को विक्रय–पत्र की फोटो प्रति पेश की थी परन्तु वादीगण को विक्रय–पत्र के मुताबिक खातेदारी प्राप्त नहीं हुई है।उक्त भूमि में गलत रूप से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया तथ प्रतिवादी नं0 1 को उक्त भूमि में से हिस्सा 41 का खातेदार रिकार्ड में गलत अंकन कर रखा है जो गलत हैं। विक्रय पत्र में अपनी खातेदारी भूमि प्रतिवादी नं0 1 ने पूर्व में वादीगण को बेचान कर दिया तथा प्रतिवादी नं0 1 को उक्त भूमि से किसी प्रकार का लेना देना नहीं हैं। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 1872, 1873, 1873/3225 के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 का नाम हजफ किया जाना न्यायोचित हैं। इसलिए वाद घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती का पेश किया हैं। प्रतिवादी नं0 1 को रिकार्ड दुरूस्ती बाबत कहने पर दिनांक 25.01.2012 को साफ इन्कार हो गये। अन्त में वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि कस्बा उदयपुरवाटी के भूमि खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1873 रकबा 3.34 है0, खसरा नम्बर 1873/3225 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.40 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी [illegible]

वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादी[illegible] गई। प्रतिवादी नं0 2 व 3 बावजूद तामिल सूचना व बार –बार आवाज [illegible] के उपरांत [illegible] उपस्थित नहीं होने के कारण इनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:28:48 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं0 1 ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा में अंकित किया कि राजीनामा के सलंग्न मानचित्र में दर्शित बिन्दु ए,बी,सी,डी भू भाग रकबा 0.18 हैं भूमि का है जो खसरा नम्बर 1873 का है उसके मीन नम्बर डाले जाकर उसका खातेदार प्रतिवादी नं0 1 हणुतदास का तथा अवशेष खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1873/3225 रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 1873 रकबा 3.34 है0 में से रकबा 3.16 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 की ओर से राजीनामा पेश कर निवेदन हैं कि राजीनामा के साथ सलंग्न नक्शे के अनुसार तथा राजीनामा की धारा 2 के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित फरमाया जाकर राजीनामा के अनुसार निर्णय व डिक्री जारी किये का आदेश फरमाया जावे। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के लिए आदेशित किया जावे। राजीनामा में वादीगण की पहचान श्री जुगल किशोर सैनी एडवोकेट ने तथा प्रतिवादी नं0 1 की पहचान श्री हरलाल सैनी एडवोकेट ने की।

वाद पत्र में बहस अंतिम श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी वकील ने राजीनामा में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा राजीनामा के अनुसार वाद–पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम कस्बा उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी के भूमि खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.01 है0, ख0न0 1873 रकबा 3.34 है0, ख0न0 1873/3225 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.40 है0 भूमि अवस्थित हैं जिसमें वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी नं0 1 खसरा नम्बर 1873 रकबा 3.34 है0 में अपने हिस्से में से 41/760 हिस्सा वादीगण को देना चाहते हैं तथा अवशेष हिस्सा 41/760 प्रतिवादी नं0 1 का रहेगा तथा शेष खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1873/3225 रकबा 0.05 है0 सम्पूर्ण हिस्सा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते हैं। अतः राजीनामा के अनुसार खसरा नं0 1873 रकबा 3.34 है0 में से प्रतिवादी नं0 1 को हिस्सा 41/760 अर्थात 0.18 है0 व वादीगण को खसरा नम्बर 1873 रकबा 3.34 है0 में से 3.16 है0, खसरा नं0 1872 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1873/3225 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.22 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1873 रकबा 3.34 है0 में से 0.18 है0 का प्रतिवादी नं0 1 को तथा वादीगण को खसरा नम्बर 1873 रकबा 3.34 है0 में से 3.16 है0, खसरा नं0 1872 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1873/3225 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.22 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। वादीगण की भूमि पर बैंक रहन यथावत रहेगा।

15/3/22

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:28:48 IST
Reason: SelfAttested

15/3/22

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी